<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 06/04/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 26 मार्च, 2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः एडीडी (ओआई)-04/2024

विषय: चीन जन.गण.,रूस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोनाइ ट्राइल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. **<u>फा. सं. 6/04/2024-डीजीटीआर</u>** : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, अल्काइल अमाइन्स कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण., रूस तथा ताइवान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोनाइट्राइल" (जिसे यहा आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **पाटित** आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान **जांच** में विचाराधीन उत्पाद 'एसिटोनाइट्राइल' है। एसीटोनाइट्राइल को एमईसीएन (मिथाइल साइनाइड), सायनो मीथेन, ईथेन नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल और मीथेन कार्बोनाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में किसी भी नाम से ज्ञाम एसीटोनाइट्राइल शामिल है। विचाराधीन उत्पाद को एक स्पष्ट और रंगहीन तरल के रूप में रूप में उत्पादित किया और बेचा जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ कोड नहीं है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 292690 के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत आयातित किया जाता है।

5. यह उत्पाद विभिन्न शुद्धताओं में आयातित होता है । विचाराधीन उत्पाद की शुद्धता आयातित बिलियन में एसीटोनाइट्राइल की मात्रा के अलावा और कुछ नहीं है। पहले, कम **शुद्धता** का एसीटोनाइट्राइल उत्पादित होता है और बाद में उसे उच्च शुद्धता के एसीटोनाइट्राइल के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। विभिन्न किस्मों के कम शुद्धता वाले एसीटोनाइट्राइल का विभिन्न आयातकों द्वारा भारत में आयात किया गया है, जो इसके बाद उच्च शुद्धता के एसीटोनाइट्राइल (99.9%) में बदलने के लिए एक छोटी डिस्टीलेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। इस जांच के प्रयोजनार्थ, विभिन्न शुद्धता में आयातित एसीटोनाइट्राइल को 99.9% शुद्धता के एसीटोनाइट्राइल को प्राप्त करने के लिए परिवर्तित किया गया है।

6. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ (औचित्य सहित), यदि कोई हों, इस जांच की शुरूआत की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं । ये दोनों तकनीकी और वाणिजियक रूप से

प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु मानी जानी चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के प्रथमदृष्टया समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

8. यह आवेदन अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। बालाजी एमाइन्स लिमिटेड और जिंदल स्पेशलिटी केमिकल्स ने आवेदन का समर्थन किया है। यह बताया गया है कि उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

9. प्रदत्त सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

10. **वर्तमान** जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., रूस और ताइवान हैं ।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

11. इस जांच जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई शामिल है।

च. <u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार

अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद है, तब उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है और इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद उनके आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

ख. रूस और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

14. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे संबद्ध देशों में बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं मिला है । अत: घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद उनके आधार पर सामान्य मूल्य का प्रस्ताव किया है । घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

घ. निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में यथासूचित विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित किया गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों के लिए निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ड. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया सिद्ध करती है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है। आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मासिक आधार दावा किया है। इसकी जांच की प्रक्रिया के दौरान जांच की जाएगी। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों को तदनुसार संगतसूचना देनी अपेक्षित है ।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

17. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों द्वारा किए गए कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के कारण घरेलू उद्योग को पूरी लागत को वसूलने और आय की तर्कसंगत दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पा रहा है और उसे घाटा हुआ है । यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता से काफी कम रहा है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं ।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. **प्रक्रिया**

19. पाटनरोधी नियमावली, के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा ।

ञ. **<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>**

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार

महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए ।

33. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियाँ द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

34. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली, के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयाता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की **वैबसाइट** पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत समयावधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी